IV 319/2021

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Signature
ACC Name-M.K. Srivastava ACC Code-UP1410610
ACC Add.-Palace Computer, Civil Court, Varanasi
Mob. No. 8840092728, 9450392086
Licence No.57/121/216/2..
Tehsil & ...

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UP44703499649896T
Certificate Issued Date	:	26-Aug-2021 02:36 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14106104/ VARANASI/ UP-VNS
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14106104780849549410 59T
Purchased by	:	TEJ BAHADUR SINGH
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	TEJ BAHADUR SINGH
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	TEJ BAHADUR SINGH
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	800 (Eight Hundred only)

1100/-

800/-

(22)

Please write or type below this line

यह इ. स्टाम्प प्रमाण पत्र लेखपत्र सं० IV 319/21 में प्रयुक्त किया गया।

उ० नि० द्वितीय
वाराणसी

तेजबहादुरसिंह

0002019112

Scanned with OKEN Scanner

सब रजिस्ट्रार द्वितीय वाराणसी–जिला–

सत्यमेव जयते

Scanned with OKEN Scanner

तेजबहादुरसिंह

202100996029750

न्यास पत्र

कार्यालय का नाम : उप निबंधक -सदर द्वितीय

तेजबहादुरसिंह

Scanned with OKEN Scanner

सब रजिस्ट्रार द्वितीय वाराणसी-जिला
सत्यमेव जयते

Scanned with OKEN Scanner

न्यास–पत्र

मैं, तेजबहादुर सिंह पुत्र स्वर्गीय अवध नारायण सिंह निवासी ग्राम पहाड़ी, पोस्ट रोहनियां, भुल्लनपुर पी.ए.सी., परगना देहात अमानत, तहसील व जिला वाराणसी का हूँ। (पैन नम्बर DKKPS6837J, आधार नम्बर 380165830863, मोबाइल नम्बर 9335665530)

मैं प्रारम्भ से नव–समाज के प्रति जागरूक रहा हूँ और मैंने निष्ठापूर्वक शिक्षा के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझा हूँ। मैं नये समाज के निर्माण के लिए अपने तन–मन–धन से लगकर रचनात्मक कार्य करना चाहता हूँ। मैं अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठापूर्वक सक्रिय हूँ और विस्तृत क्षेत्र में नवशिक्षा, नवसमाज के उत्थान के लिए न्यास की स्थापना करना चाहता हूँ। इस प्रकार मैंने अपने सहयोगियों, मित्रों व शुभेच्छुओं से सलाह–मशविरा कर यह निश्चित किया है कि मैं अपने पूर्वजों की इच्छा एवं कृत्य को स्थायी रूप देने के लिए अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने हेतु "देवमूर्ता सेवा न्यास" जिसका मुख्यालय ग्राम पहाड़ी, पोस्ट रोहनियां, भुल्लनपुर पी.ए.सी., जिला वाराणसी, की स्थापना कर रहा हूँ और इसके जरिये सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, स्वस्थ समाज का उत्थान तथा खेल–कूद एवं पर्यावरण आदि के लिए कार्य करूँ और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने तथा अन्य ऐसे एन.जी.ओ. का कार्य इस न्यास के जरिये करूँ जिससे कोई समस्या उत्पन्न न हो और अपने पूर्वजों की कीर्ति को उज्ज्वल व धवल बनाये रखूँ।

इसलिए मैंने अपने स्वेच्छा से स्वस्थ मन–मस्तिष्क से बिना किसी जोर दबाव या नाजायज के इस न्यास की स्थापना कर रहा हूँ, इसलिए मैंने रू0 11,000/– (ग्यारह हजार रूपये) अर्पित कर रहा हूँ और यह पारिवारिक/ व्यक्तिगत ट्रस्ट होगा।

न्यास का विवरण

1. न्यास का नाम– देवमूर्ता सेवा न्यास
2. मुख्यालय– ग्राम पहाड़ी, पोस्ट रोहनियां, भुल्लनपुर पी.ए.सी., जिला वाराणसी
3. कार्यक्षेत्र– सम्पूर्ण भारतवर्ष
4. उद्देश्य–
   1. भारतवर्ष में समाजसेवा के प्रत्येक क्षेत्र में सक्रियतापूर्वक कार्य करना।
   2. धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना करना।

तेजबहादुर सिंह

सब रजिस्ट्रार द्वितीय वाराणसी

Scanned with OKEN Scanner

3. प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक की शैक्षणिक संस्था स्थापित करना।
4. सभी धर्म-जाति में समरसत्ता उत्पन्न करने का कार्यक्रम चलाना और समाज से धार्मिक, सामाजिक, जातीय घृणा दूर करना।
5. तकनीकी शिक्षा के लिए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करना।
6. प्रारम्भिक शिक्षा के लिए विद्यालयों की स्थापना करना जिसमें भारतीय संरक्षण एवं विश्व-बन्धुत्व का विशेष ध्यान रखा जायेगा।
7. पर्यावरण सुरक्षा के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाना।
8. खेल-कूद तथा स्वास्थ्य उत्थान के संस्थानों की स्थापना करना तथा नवयुवकों में प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करना।
9. वृक्षारोपण, वृक्षों एवं वनों की सुरक्षा के लिए सभी प्रकार के कार्यक्रम चलाना।
10. भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए सभी प्रकार के कार्यक्रम करना एवं सामाजिक चेतना उत्पन्न करना।
11. भारतीय संस्कृति का संरक्षण करना।
12. पुस्तकालायों, वाचनालयों की स्थापना करना।
13. हरित क्रान्ति एवं कृषि के उत्थान के लिए सभी प्रकार के कार्यक्रम चलाना तथा राजकीय एवं अन्य एन.जी.ओ. के सहयोग से कार्यक्रम चलाना एव जनजागरण करना।
14. केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों से उपरोक्त कार्यक्रमों के लिए इस न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आर्थिक एवं सभी प्रकार के सहयोग लेना, चन्दा, दान आदि ग्रहण करना तथा अन्य एन.जी.ओ. के सहयोग से एवं उनकी आर्थिक व अन्य प्रकार के सहयोग से कार्यक्रम चलाना।
15. अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के विकास के विभिन्न कार्यक्रम चलाना।
16. वृद्धाश्रमों की स्थापना करना।
17. विधवाओं के लिए विधवा आश्रम की स्थापना करना।

Scanned with OKEN Scanner

द्वितीय वाराणसी

18. सभी धर्म एवं जातियों की बालक-बालिकाओं के लिए तकनीकी शैक्षणिक संस्था तथा सिलाई-बढ़ाई, बुनाई तथा चित्रकला आदि के लिए विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करना।

19. वित्तीय संस्था, बैंक आदि से ऋण प्राप्त करना तथा न्यास के वित्तीय विकास के लिए और उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वित्तीय संस्थानों में निवेश करना।

20. संस्था के लिए अचल सम्पत्ति एवं भूमि आदि क्रय करना एवं न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति क्रय-विक्रय करना।

21. न्यास आर्थिक लाभ के लिए व्यापारिक कार्य नहीं करेगा बल्कि समाजसेवा एवं समाज निर्माण के लिए वित्तीय संस्थानों में निवेश कर सकेगा।

22. यह न्यास किसी दूसरे न्यास को अपने उद्देश्य की पूर्ति में विलय कर सकता है।

23. शैक्षणिक शिक्षा एवं अध्यापकों के ट्रेनिंग के लिए संस्थानों की स्थापना करना।

24. औषधालय, चिकित्सालय, अस्पताल की व्यवस्था करना।

25. वनक्षेत्र के गरीब परिवारों के बच्चों का शोषण रोकना तथा उनके शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खेल-कूद का विशेष प्रबन्धक करना।

26. चिकित्सा शिक्षा संस्थान की स्थापना करना।

27. यह न्यास भारतीय ट्रस्ट अधिनियमों से आच्छादित होगा।

28. इस न्यास को न्यास मण्डल विशेष परिस्थितियों में 2/3 बहुमत से या सर्वसम्मति से भंग करने का निर्णय ले सकता है और इस न्यास की सम्पत्ति न्यास मण्डल के बहुत से या सर्वसम्मत से वितरित की जायेगी।

29. बालक/बालिकाओं के शैक्षिक विकास हेतु निम्न स्तर से उच्च स्तर तक के विद्यालय/ महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय की स्थापना व संचालन करना।

30. बालक/बालिकाओं के शैक्षिक विकास हेतु महाविद्यालय के स्थापना व संचालन हेतु सभी प्रकार के सम्बन्धित कार्यों का निष्पादन करना जैसे-

प्रेमबहादुर सिंह

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

मान्यता प्राप्त करना, पठन-पाठन हेतु अध्यापकों की नियुक्त करना व पठन-पाठन के सभी कार्यों को सुनिश्चित कराना व आवश्यकतानुसार महाविद्यालय के पक्ष में अनुदान प्राप्त करना, बैंक लोन लेना इत्यादि सभी कार्यों को निष्पादन करेंगे।

31. प्रबन्धकशास्त्र कालेज, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज एवं अन्य नवीन तकनीकी/ प्रबन्धकीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित व संचालित करना।

32. न्यास द्वारा स्थापित व संचालित विभिन्न विद्यालय/ महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में निर्धन, मेधावी, असहाय एवं विकलांगों के लिए निःशुल्क शिक्षा व आवास क व्यवस्था सुनिश्चित करना।

33. विभिन्न विषयों व विधाओं का प्रचार-प्रसार करना, साथ ही उन अनुसंधान को भी प्रोत्साहित करना।

34. नवीनतम शिक्षा प्रणाली के अनुरूप सभी विषयों एवं भाषाओं का समुचित व्यवस्था करना।

35. निर्धन, असहाय, मेधावी छात्र-छात्राओं को पुस्तकीय सहायता तथा छातत्रवृत्ति आदि की सुविधाएँ उपलब्ध कराना।

36. योगशास्त्र, प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान एवं आयुर्वेदिक शिक्षण-प्रशिक्षण पद्धतियों को प्रोत्साहित करने हेतु कालेजों व चिकित्सालयों की स्थापना व संचालन करना।

37. विकलांगों हेतु विशिष्ट शिक्षण संस्था स्थापित व संचालित करना और साथ ही शिक्षा, आवास व भोजन की निःशुल्क व्यवस्था करना।

38. ज्ञान-विज्ञान, भौतिक, शारीरिक, मानसिक शिक्षा प्रदान कर एक सुयोग्य नागरिक बनाना।

39. सदाचार एवं आध्यासित विकास हेतु पुस्तकालय एवं वाचनालय आदि की व्यवस्था करना।

40. भारतीय संस्कृति, धर्म, आचार पद्धति, राष्ट्र के प्रति श्रद्धा एवं सहयोग की भावना का समाज में प्रचार-प्रसार करना। समाज के संत-महात्माओं, वृद्धों, अनाथों, विकलांगों, उपेक्षित लोगों व दलितों की सेवा करना एवं उन्हें सामाजिक संरक्षण प्रदान करना।

तेजबहादुरसिंह

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

41. गोवंश रक्षा, भूमि–कृषि भूमि संरक्षण एवं वृक्षारोपण आदि कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने का पूर्ण प्रयास करना।
42. विभिन्न खेलकूद कार्यक्रमों का आयोजन व संचालन करना।
43. स्वास्थ्य सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों का ग्रामीण/ शहरी अंचलों में सफल संचालन करना।
44. देश को साक्षरवान बनाने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना एवं उनके सफल संचालन को सुनिश्चित करना।
45. बेरोजगार युवक/ युवतियों हेतु राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर खोजना व उनका अनुसंधान कर रोजगार के विभिन्न अवसर समय–समय पर उपलब्ध कराना।
46. बाल विकास केन्द्रों की स्थापना व संचालन करना।
47. समाज के उपेक्षित, शोषित व उत्पीड़ित समुदाय को संगठित कर नये सौहार्दपूर्ण, भाईचारा, आपसी प्रेम, सांस्कृतिक व सामाजिक चेतना तथा राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत करना और साथ ही साथ उनके बौद्धिक, नैतिक, आर्थिक, सामाजिक दिग्दर्शन हेतु कल्याणकारी साहित्यों के निःशुल्क प्रकाशन की व्यवस्था करना।
48. अनाथालयों की स्थापना व संचालन करना।
49. वृद्धाश्रमों की स्थापना व संचालन करना।
50. विभिन्न सामाजिक व सांस्कृतिक तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमों हेतु रूपरेखा तैयार करना और उन्हें राष्ट्रीय/ प्रादेशिक/ क्षेत्रीय स्तर पर क्रियान्वित करना/ कराना।
51. विभिन्न जीव–जन्तुओं के प्रति हिंसा के परित्याग की भावना जागृत करना तथा उनके संरक्षण हेतु उद्यानों की स्थापना व संचालन करना।

5. न्यास की परिसम्पत्तिः– अपनी उपरोक्त भावना व इच्छा को चरितार्थ करने के लिए ग्यारह हजार रुपये की निधि न्यासियों को सौंपता हूँ तथा उन्हें अधिग्रहित करता हूँ कि उन्हें न्यास दान उपहार तथा अन्य तरीके से इस निधि के संवर्धन व संरक्षण का दायित्व संभालें तथा न्यास के वर्तमान व समय–समय पर बनने वाले नियमों के अनुसार उसका सदुपयोग करते रहें।

Scanned with OKEN Scanner

रजिस्ट्रार द्वितीय वाराणसी

Scanned with OKEN Scanner

उक्त, चल सम्पत्ति का उपयोग व उचित व्यवस्था हो सके इसके लिए मैं स्वस्थ चित्त व स्वस्थ मस्तिष्क से खूब सोच-समझ कर बिना किसी अनुचित दबाव के यह न्यास-पत्र अपने उत्तराधिकारियों को न्यास-पत्र से आबद्ध करता हूँ:-

क्र.	न्यासियों का नाम	पता	पद
1	तेजबहादुर सिंह पुत्र स्व0 अवध नारायण सिंह	ग्राम पहाड़ी, पोस्ट रोहनियां, भुल्लनपुर पी.ए.सी., जिला वाराणसी	प्रधान न्यासी (अध्यक्ष)
2	मुकेश कुमार सिंह पुत्र तेजबहादुर सिंह	ग्राम पहाड़ी, पोस्ट रोहनियां, भुल्लनपुर पी.ए.सी., जिला वाराणसी	न्यासी/ प्रबन्धक
3	विकास कुमार सिंह पुत्र तेजबहादुर सिंह	ग्राम पहाड़ी, पोस्ट रोहनियां, भुल्लनपुर पी.ए.सी., जिला वाराणसी	वित्त प्रबन्धक/ न्यासी
4	अन्नू कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय आद्या शंकर सिंह	ग्राम व पोस्ट जक्खिनी, रोहनियां, वाराणसी	न्यासी

6. <u>न्यास के कोष का निष्पादन व रख-रखावः-</u>

1. यह कि न्यास की चल सम्पत्ति ग्यारह हजार रूपये किसी भी राष्ट्रीय बैंक में देवमूर्ति सेवा न्यास के नाम से जमा रहेगा एवं इस जमा धनराशि एवं उसपर प्राप्त ब्याज न्यास के कार्य में प्रयोग किया जायेगा तथा न्यास के इस एकाउण्ट को न्यास का प्रधान न्यासी संचालित करेगा।
2. यह कि अन्य समस्त निधि भी न्यास के नियमानुसार किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में लाभकारी रीति से विनियस्त की जायेगी।
3. न्यास के लिए दान, सहायता या गैर-सरकारी अनुदान, उपहार या अन्य स्रोतों से प्राप्त राशि को स्वीकार करने, उसे बैंक में जमा करने, उसका हिसाब-किताब रखने, न्यास के नियमानुसार उसे निकालने एवं सही रूप से उसका उपयोग करने का दायित्व न्यासियों पर होगा।

तेजबहादुर सिंह

Scanned with OKEN Scanner

आवेदन सं०: 202100996029750

न्यास पत्र

वर्ष: 2021

बही स०: 4 | रजिस्ट्रेशन स०: 319

प्रतिफल- 11000 स्टाम्प शुल्क- 800 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 200 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 280

श्री तेजबहादुर सिंह ,
पुत्र श्री स्व० अवध नारायण सिंह
व्यवसाय : अन्य
निवासी: ग्राम पहाड़ी, पोस्ट रोहनियां, भुल्लनपुर पी०ए०सी०, परगना देहात अमानत, तहसील व जिला वाराणसी

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 26/08/2021 एवं 03:36:39 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

हरीश चतुर्वेदी
उप निबंधक :सदर द्विंतीय
वाराणसी
26/08/2021

पवन कुमार श्रीवास्तव
निबंधक लिपिक

4. न्यास की समस्त चल व अचल सम्पत्तियों के क्रय-विक्रय या हस्तान्तरण या किसी समानधर्मी संस्था में विलय आदि से सम्बन्धित समस्त अधिकार न्यासियों में निहित होंगे।

7. <u>न्यासियों के पद रिक्त होने पर व्यवस्थाः-</u>

(क) यह कि उपरोक्त चारो न्यासीगण न्यास के आजीवन सदस्य रहेंगे। यदि कोई न्यासी अपने जीवनकाल में ही न्यास से अलग होना चाहता है तो बकिया न्यासीगण सामूहिक निर्णय द्वारा अलग हुए न्यासी के स्थान पर किसी अन्य को न्यासी बनायेंगे।

(ख) यह कि यदि किसी न्यासी की मृत्यु हो जाती है तो उसके स्थान पर उस न्यासी का पुत्र ही उसका कानूनी उत्तराधिकारी न्यासी होगा।

8. न्यास की नियमावली व संचाल-विधिः- यह कि उपरोक्त न्यास के न्यासीगण प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बार अपनी बैठक करके न्यास के पूर्व किये गये कार्यों को सत्यापित करेंगे एवं आगे के कार्यों के बारे मे विचार-विमर्श करेंगे। उक्त बैठकों में कम से कम 3/4 न्यासियों की उपस्थिति होनी चाहिए। बैठक की सूचना प्रधान न्यासी बैठक से एक सप्ताह पूर्व देगा।

9. न्यास का प्रबन्धनः- न्यास का प्रबन्धन न्यासियों के समूह द्वारा किया जायेगा जिसे बोर्ड आफ ट्रस्ट कहा जायेगा। बोर्ड आफ ट्रस्ट का प्रधान न्यासी चेयरमैन होगा एवं मुकेश कुमार सिंह प्रबन्ध निदेशक व विकास कुमार सिंह वित्त निदेशक होगा।

10. न्यासियों का कार्यः-

(क) न्यास प्रबन्ध समिति से अनुमोदित कार्यो तथा क्रियाकलापों को क्रियान्वित करना।

ख) न्यास के समस्त बैंकों के कार्यालय का अभिलेख रखना एवं न्यास की ओर से सब प्रकार का पत्र-व्यवहार रखना एवं न्यास के अभिलेखों को सुरक्षित रखना।

Scanned with OKEN Scanner

आवेदन सं०: 202100996029750

बही स०: 4 | रजिस्ट्रेशन स०: 319 | वर्ष: 2021

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री तेजबहादुर सिंह, पुत्र श्री स्व० अवध नारायण सिंह

निवासी: ग्राम पहाड़ी, पोस्ट रोहनियां, भुल्लनपुर पी०ए०सी०, परगना देहात अमानत, तहसील व जिला वाराणसी

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री मुकेश कुमार सिंह, पुत्र श्री तेजबहादुर सिंह

निवासी: ग्राम पहाड़ी, पोस्ट रोहनियां, भुल्लनपुर पी०ए०सी०, वाराणसी

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री पंकज कुमार सिंह, पुत्र श्री अवध नारायण सिंह

निवासी: 07, मानिक नगर कालोनी, लहरतारा, बौलिया, वाराणसी

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है।

टिप्पणी :

हरीश चतुर्वेदी
उप निबंधक : सदर द्वितीय
वाराणसी

पवन कुमार श्रीवास्तव
निबंधक लिपिक

(ग) न्यास प्रबन्ध समिति की बैठक बुलाना, उसका दिन, समय, स्थान निर्धारित करना।

(घ) न्यास के आय-व्याय का लेखा-जोखा तैयार कराकर परीक्षक से उसकी जाँच कराकर न्यास की बैठक में स्वीकृत कराना।

(ङ) न्यास का वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना एवं उसे न्यास प्रबन्ध समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।

(च) वेतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति एवं उनके वेतन आदि की समुचित व्यवस्था करना।

(छ) न्यास को प्राप्त होने वाले सभी प्रकार का अनुदान, दान आदि प्राप्त करना, उसका विवरण रखना तथा न्यास द्वारा अनुमोदित बजट के अनुसार व्यय करना।

(ज) न्यास की नियमावली मे कोई परिवर्तन या संशोधन न्यास के सदस्यों के 3/4 बहुमत के आधार पर ही हो सकेगा।

(झ) यह कि दान अथवा किसी माध्यम से न्यास को जो भी आय होगी वह न्यास की परिसम्पत्तियाँ होगी। उसको कोई सदस्य अपने निजी कार्य में खर्च नहीं कर सकेगा।

(ञ) यह कि न्यास के उद्देश्य एवं कार्य समुचित रूप से होता रहे तथा न्यास के बाहर से प्राप्त होने वाले अनुदान, चन्दे इत्यादि को प्राप्त करने में सुगमता के लिए न्यास आयकर विभाग के 80-जी के अन्तर्गत प्रमाण प्राप्त कर सकेगा।

अतः मैंने इस न्यास-पत्र को पूरी तौर से पढ़-पढ़वाकर सुन व समझ लिया है एवं इसके परिणाम से अवगत होकर साक्षियों के समक्ष अपना हस्ताक्षर बना दिया ताकि सनद रहे व आवश्यकतानुसार काम आवे।

बलबहादुर सिंह

Scanned with OKEN Scanner

आवेदन सं०: 202100996029750

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 288 के पृष्ठ 79 से 100 तक क्रमांक 319 पर दिनाँक 26/08/2021 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

हरीश चतुर्वेदी
उप निबंधक : सदर द्वितीय
वाराणसी
26/08/2021

Scanned with OKEN Scanner

तहरीर तारीख– 26.08.2021

गवाहान–

1. **नाम –** मुकेश कुमार सिंह

   पिता का नाम – तेजबहादुर सिंह

   पूरा पता – ग्राम पहाड़ी, पोस्ट रोहनियां, भुल्लनपुर पी.ए.सी., रोहनियां, वाराणसी

   मो.नं. – 9335665530

   हस्ताक्षर –

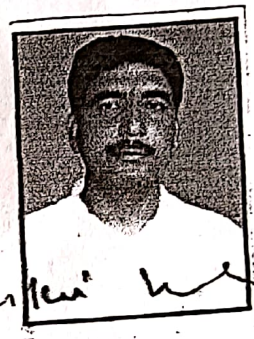

2. **नाम –** पंकज कुमार सिंह

   पिता का नाम – अवध नारायण सिंह

   पूरा पता – 07, मानिक नगर कालोनी, लहरतारा, बौलिया, वाराणसी

   मो.नं. – 9415269199

   हस्ताक्षर –

मसविदाकर्ता–

अरूण कुमार सिंह, (एडवोकेट)
सिविल कोर्ट वाराणसी।

टाइपकर्ता–

यू.एन. त्रिपाठी
सिविल कोर्ट वाराणसी।

सब रजिस्ट्रार द्वितीय वाराणसी

Scanned with OKEN Scanner